

राँची जिला में नवनामांकन के लिए विज्ञापन

- (क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए शिवित :-

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

उपरोक्त दोनों कोटियाँ (ग्रामीण/शहरी गृह स्वयं) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे। महिलाओं के लिए कर्णांकित पद में से 05 प्रतिशत पद अर्द्धा प्राप्य तत्कालचुदा/परिवर्धन/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तत्कालचुदा/परिवर्धन/विधवा अर्थव्यक्ती के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 05 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में समाहित हो जायेगा।

शहरी गृह स्वयं के लिए शिफ्ट में 50 प्रतिशत पद तत्कालची दस उम्मीदवारों के लिए होगा। योय उम्मीदवार नहीं मिलें पर गैर-तत्कालची/तत्कालची दस की शिफ्ट एक-दूसरे से भर्ती जायेगा।

- [illegible]

(ii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :-

(ख) हिन्दी लेखन-श्रमता परीक्षा :- पाठ्य

- जिला समादेष्टा,